NISHA GUPTA
Digitally signed by NISHA GUPTA
Date: 2026.06.01 16:55:55 +0530

न्यायालय – श्रीमती निशा गुप्ता, विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं एसटीएससी एक्ट)/ग्याहरवें अपर सत्र न्यायाधीश, जबलपुर (म.प्र.)

विशेष प्रकरण क्रमांक 38/2021
फायलिंग नंबर–8086/2021
फायलिंग दिनांक–25.03.2021
सी.एन.आर.–एम.पी.2001–011325–2021
जमानत आवेदन आई0ए0नंबर–03/2026
आई.ए.नं. दिनांक–29.05.2026

अविनाश उर्फ राज यादव पिता श्री प्रभुदयाल यादव, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी–भटरा मोहल्ला, शारदा नगर रिछाई, थाना बरेला, जिला–जबलपुर म.प्र.।

–आवेदक/अभियुक्त

विरूद्ध

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र–बरेला, जिला–जबलपुर म.प्र.

–अनावेदक/शासन

01-06-2026

आवेदक/अभियुक्त अविनाश उर्फ राज यादव न्यायिक अभिरक्षा में है, उसकी ओर से सुश्री सविता चौधरी अधिवक्ता उपस्थित।

म.प्र. राज्य द्वारा विशेष लोक अभियोजक उपस्थित।

प्रकरण अभियोक्त्री एवं अभियोक्त्री के संरक्षक की उपस्थिति, थाना–बरेला, जिला जबलपुर से प्रतिवेदन प्रस्तुति एवं जमानत आवेदन अंतर्गत धारा–483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता(आई0ए0नं0–3/2026) पर तर्क हेतु नियत है।

अभियोक्त्री ने अपने माता–पिता सहित उपस्थित होकर जमानत आवेदन पर अपनी अनापत्ति व्यक्त की।

आरक्षी केन्द्र बरेला से प्रतिवेदन प्राप्त।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से **प्रथम** जमानत आवेदन में यह निवेदन किया गया है कि वह निर्दोष है, उसके द्वारा कोई घ ाटना कारित नहीं की गई। वह अपने परिवार का भरण–पोषण

NISHA GUPTA
Digitally signed by NISHA GUPTA
Date: 2026.06.01 16:56:00 +0530

करने वाला एकमात्र व्यक्ति है। वह जबलपुर का स्थाई निवासी है। उसका इस प्रकरण से कोई संबंध नहीं है। उसका पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उसे पूर्व में माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय द्वारा एम.सीआर.सी.नं.–25467/2021 में पारित आदेश दिनांक 16/06/2021 के द्वारा जमानत का लाभ प्रदान किया गया है। वह मजदूरी करने महाराष्ट्र चला गया था जिस कारण पेशी पर उपस्थित नहीं हो सका था तथा उसका मोबाईल बंद होने से उसका अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं हो पाया था। उसके विरूद्ध दिनांक 13/05/2026 को गिरफतारी वारंट का आदेश पारित किया गया है। वह जमानत की शर्तों का पालन करने को तैयार है। अतः उसकी ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन स्वीकार कर उसे जमानत पर छोड़े जाने का निवेदन किया गया है।

जमानत आवेदन के संबंध में शपथकर्ता प्रभूदयाल आत्मज रामनाथ, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी–शारदा मंदिर, 2 नम्बर वार्ड, भटरा मोहल्ला, थाना बरेला, जिला जबलपुर म.प्र. का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उसने आवेदक/अभियुक्त का पिता होना बताया है। उसके द्वारा उक्त आवेदन में पैरवी हेतु अधिवक्ता **सुश्री सविता चौधरी** द्वारा व्यक्त किया है कि आवेदक/अभियुक्त का **प्रथम** जमानत आवेदन है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत आवेदन किसी भी न्यायालय में न तो लंबित है और न ही विचाराधीन है।

विशेष लोक अभियोजक द्वारा आवेदन का लिखित जवाब प्रस्तुत न कर मौखिक रूप से विरोध करते हुए आवेदन निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

जमानत आवेदन पर उभयपक्ष को सुना गया।

इस न्यायालय में लंबित विशेष प्रकरण कमांक 38/2021 म.प्र. राज्य विरूद्ध विक्की उर्फ विकास वगैरह जो कि थाना बरेला, जिला–जबलपुर म0प्र0 के अपराध क्रं. 574/2020, अंतर्गत भारतीय दण्ड संहिता की धारा–363, 366, 376(2)(एन), 376(3), 506, 212, 34 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम–2012 की धारा–3, 4, 5एल, 6 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा–4/181, 5/180 एवं 39/192(बी) से उद्भूत है, का एवं पुलिस प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। प्रकरण एवं प्रतिवेदन के अवलोकन से दर्शित है कि उक्त धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियुक्त अविनाश उर्फ राज यादव सहित अन्य अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा अभियुक्त अविनाश उर्फ राज के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा–363, 366, 376(2)(एन), 376(3) एवं लैंगिक अपराधों से

NISHA GUPTA
Digitally signed by NISHA GUPTA
Date: 2026.06.01 16:56:06 +0530

बालकों का संरक्षण अधिनियम–2012 की धारा–5एल सहपठित धारा–6 एवं धारा–3(ए) सहपठित धारा–4 के अंतर्गत आरोप विरचित किये गये तथा विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण वर्तमान में अभियुक्त परीक्षण के स्तर पर है।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से तर्क किया गया है कि वह महाराष्ट्र में मजदूरी करने गया था एवं उसका मोबाईल बंद होने से उसका अधिवक्ता से सम्पर्क न होने के कारण पूर्व पेशियों पर उपस्थित नहीं हो पाया था। उसकी अनुपस्थिति जानबूझकर न होकर पूर्णतः परिस्थितिजन्य थी। आवेदन के संबंध में प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि प्रकरण वर्ष 2021 से लंबित होकर पांच वर्ष पुराना है तथा प्रकरण दिनांक 23/04/2026, दिनांक 28/04/2026, दिनांक 04/05/2026, दिनांक 11/05/2026 को अभियुक्त परीक्षण हेतु नियत रहा, परन्तु आवेदक/आरोपी की अनुपस्थिति के कारण दिनांक 13/05/2026 को गिरफतारी वारंट जारी किया गया। दिनांक 29/05/2026 को आवेदक/आरोपी द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर समर्पण किया गया तब से वह अभिरक्षा में है।

आवेदक/आरोपी विगत कई पेशियों से अनुपस्थित रहा है। आवेदक/आरोपी द्वारा अपनी अनुपस्थिति का जो कारण बताया गया है, वह सदभाविक प्रतीत नहीं होता है। प्रकरण पांच वर्ष से अधिक अवधि से पुराना है। आवेदक/आरोपी की अनुपस्थिति के कारण ही प्रकरण की कार्यवाही बाधित रही है और माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार प्रकरण का शीघ्र निराकरण नहीं हो सका है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा किये गये कृत्य, प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों तथा सतत अनुपस्थिति को देखते हुए आवेदक/अभियुक्त को प्रतिभूति का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः अपराध की प्रकृति एवं प्रकरण की समस्त परिस्थितियों, उसकी सतत अनुपस्थिति को दृष्टिगत रखते हुये आवेदक/आरोपी अविनाश उर्फ राज यादव की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत आवेदन पत्र (आई0ए0नं0–3/2026) अंतर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की 483 ''निरस्त'' किया जाता है।

आदेश सी.आई.एस. साफ्टवेयर में अपलोड किया जावें।

जमानत की सूचना जेल की ईमेल आई.डी. पर अभियुक्त को भेजी जावें।

प्रकरण पूर्ववत शेष आरोपीगण रोशन, लखन उर्फ हनी एवं विक्की उर्फ विकास की उपस्थिति हेतु **दिनांक–15/06/2026** को पेश हो।

सही/–

(श्रीमती निशा गुप्ता)
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट/एस0टी0 एस0सी0एक्ट/ग्यारहवें अपर सत्र न्यायाधीश, जबलपुर, जिला जबलपुर, (म0प्र0)

NISHA GUPTA
Digitally signed by NISHA GUPTA
Date: 2026.06.01 16:56:13 +0530